



## \*प्रेस नोट / सराहनीय कार्य\*

\*(पत्रांक-31/2023 दिनांक 31.01.2023)\*

**\*दिनांक- 31.01.2023 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-\***

**\*अवैध शराब बिक्री/परिवहन/निष्कर्षण के विरुद्ध कार्यवाही:-(कुल-07)\***

**\*थाना को0 पडरौना-\***

थाना को0 पडरौना पुलिस टीम द्वारा 03 नफर अभियुक्तों 1-हरेश गौंड पुत्र सरल साकिन त्रिलोकपुर खुर्द थाना को0 पडरौना, 2-राबलम पुत्र रघुवीर राम साकिन तमकुहवा थाना धनहा जनपद पं0 चम्पारण बिहार, 3-बहादुर पुत्र महेसर प्रसाद साकिन पपऊर थाना रामकोला जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 25 ली0 कच्ची शराब व 33 शीशी देशी शराब बन्टी- बबली बरामद कर अन्तर्गत मु0अस0-107/2023,108/2023,109/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*थाना खड्डा-\***

थाना खड्डा पुलिस टीम द्वारा 04 नफर अभियुक्तों 1-त्रिलोकी पुत्र स्व0 रामचन्द्र साकिन पकड़ी वृजलाल थाना खड्डा, 2-धर्मेन्द्र चौहान पुत्र शुरेश साकिन करदह तिवारी टोला थाना खड्डा, 3-उपेन्द्र चौहान पुत्र लोहा साकिन नौका टोला शाहपुर थाना खड्डा, 4-रामप्रताप यादव पुत्र रघुराज साकिन मठिया थाना खड्डा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 40 ली0 कच्ची शराब बरामद कर अन्तर्गत मु0अस0-40/202,41/2023,42/2023,43/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*थाना तमकुहीराज व एसटीएफ की संयुक्त टीम द्वारा दुर्लभ पदार्थ बताकर धोखाधड़ी करने वाले 03 शातिर अन्तर्राज्यीय जालसाजों को किया गया गिरफ्तार-\***

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई गोरखपुर टीम व थाना तमकुहीराज की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 30.01.2023 को तरयामोड़ कस्बा तमकुहीराज के पास से 03 अभियुक्तों 1-गोपाल शर्मा उर्फ श्रीनिधि कुमार पुत्र संजय कुमार निवासी कंकडबाग नियर पार्क गेट, पटना, बिहार स्थायी पता श्रीकृष्णनगर कालोनी थाना औरंगाबाद, जिला औरंगाबाद, बिहार, 2-मुकेश कुमार पुत्र स्व0 शत्रुधन सिंह निवासी कंकडबाग आर0एम0एस0 कोलोनी पटवा बिहार स्थायी पता- ग्राम हथियांवां थाना शेखपुरा जिला शेखपुरा बिहार, 3-सोनू कुमार तिवारी पुत्र अमरनाथ तिवारी निवासी हीरानगर कालोनी गुडगांव हरियाणा व स्थायी पता रसौली इमिलिया टोला थाना पानापुर जनपद सारण(छपरा) बिहार जो एक गिरोह बनाकर **दुर्लभ पदार्थ बताकर** पैकेट में कोई सस्ता पदार्थ भरकर पैकेट पर अमेरिका में परिशोधित यूरेनियम से सम्बन्धित विवरणी अंकित कर रेडियोएक्टिव प्रोटेक्सन का चिन्ह बनाकर, फर्जी/कूटरचित पहचान पत्र (आधार कार्ड) तैयार कर ठगी का कार्य करते हैं जिनको गिरफ्तार कर उनके कब्जे **02 अदद लेदर पैकेट में 900 ग्राम दुर्लभ पदार्थ, 03 अदद फर्जी पहचानपत्र (आधार कार्ड )** की बरामदगी की गयी है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना तमकुहीराज पर मु0अ0सं0 28/2023 धारा 419,420,467,468,471,487,488,120बी भादवि में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*पंजीकृत अभियोग:-\***



Edit with WPS Office

**\*गिरफ्तार अभियुक्तगण-\***

1-गोपाल शर्मा उर्फ श्रीनिधि कुमार पुत्र संजय कुमार निवासी कंकडबाग नियर पार्क गेट, पटना, बिहार स्थायी पता श्रीकृष्णनगर कालोनी थाना औरंगाबाद, जिला औरंगाबाद, बिहार।

2-मुकेश कुमार पुत्र स्व0 शत्रुधन सिंह निवासी कंकडबाग आर0एम0एस0 कोलोनी पटवा बिहार स्थायी पता- ग्राम हथियांवां थाना शेखपुरा जिला शेखपुरा बिहार।

3-सोनू कुमार तिवारी पुत्र अमरनाथ तिवारी निवासी हीरानगर कालोनी गुडगांव हरियाणा व स्थायी पता रसौली इमिलिया टोला थाना पानापुर जनपद सारण(छपरा) बिहार।

**\*बरामदगी का विवरण-\***

1-02 अदद लेदर पैकेट में 900 ग्राम दुर्लभ पदार्थ,

2-03 अदद फर्जी पहचानपत्र (आधार कार्ड )

**\*गिरफ्तार करने वाली टीम:-\***

1-प्रभरी निरीक्षक श्री सत्यप्रकाश सिंह मय टीम एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई गोरखपुर।

2-प्रभारी निरीक्षक तमकुहीराज मय टीम थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर।

**\*थाना तुर्कपट्टी पुलिस टीम द्वारा एक अदद मोटरसाईकिल से ले जायी जा रही 5 पेटी देशी शराब (कीमत लगभग 15000/- रु0) के साथ एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-\***

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जयसवाल के निर्देशन में अवैध शराब बिक्री/निष्कर्षण/ परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 30.12.2023 को थाना तुर्कपट्टी पुलिस की टीम द्वारा बरवा राजापाकड बहुरीया टोला भठे के पास से बजाज प्लैटिना गाडी जिसका नम्बर UP 57 BA 4401 से ले जायी जा रही बोतल पर 05 पेटी देशी बन्टी बबली शराब 200 ML की एक पेटी मे 45 शीशी कुल 225 शीशी की बरामदगी की गयी। तथा मौके से अभियुक्त विनय जायसवाल उर्फ गोलू पुत्र स्वामीनाथ जायसवाल सा0 बरावा राजापाकड बहुरीया टोला थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0-047/23 धारा 60/72 आबकारी अधि0 में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**\*पंजीकृत अभियोग-\***

मु0अ0सं0-047/23 धारा 60/72 आबकारी अधि0

**\*गिरफ्तार अभियुक्त-\***

विनय जायसवाल उर्फ गोलू पुत्र स्वामीनाथ जायसवाल सा0 बरावा राजापाकड



बहुरीया टोला थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर

**\*बरामदगी का विवरण-\***

- 1-एक अदद मोटर साईकिल वाहन UP.57.BA.4401 प्लेटिना
- 2-05 पेटी में कुल 225 शीशी बन्टी बबली देशी शराब (कीमत लगभग 15000/-रु0)

**\*गिरफ्तार करने वाली टीम:-\***

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री आशुतोष सिंह, थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर।
- 2-उ0नि0 श्री अभिषेक सिंह थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर।
- 3-हे0का0 कुश कुमार थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर।
- 4-का0 वरूण यादव थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर।
- 5-का0 अजीत सिंह थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर।
- 6-का0 तारकेश चौबे थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर।

**\*थाना तुर्कपट्टी पुलिस द्वारा ईट भट्टा, एक अदद पीकप व एक अदद मो0सा0 (कीमत लगभग 50 लाख रूपये) की सम्पत्ति गैगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गयी जब्त-\***

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री रितेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर श्री उमेश चन्द्र भट्ट के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान के तहत गैगेस्टर एक्ट के अभियुक्तों के विरुद्ध गैगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 31.01.2023 को थाना तुर्कपट्टी पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 325/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट के अभियुक्त परमहंश यादव उर्फ परभंश यादव पुत्र मोतीलाल यादव निवासी ग्राम बसडीला पाण्डेय थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर के द्वारा अवैधानिक कृत्यों से धन अर्जित करके भट्टा, सर्वश्री एच०के०वाई० उद्योग ग्राम बसडीला पाण्डेय में संचालित करवाया जा रहा था, जिसका रजिस्ट्रेशन नं० GST No. 09AOLPY7771P1ZE है, उक्त भट्टा को श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट जनपद कुशीनगर महोदय द्वारा दिनांक 09.01.2023 को व एक अदद पीकप सं० UP57 A T1210 व एक अदद मो0सा0 बुलेट रायल ईनफील्ड मो0सा0 सं० UP 56 Z 2818 कुल कीमत लगभग 50,00000/-रु0 (कुल कीमत लगभग पचास लाख रूपये) को धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम



1986 के अन्तर्गत जब्त किया गया।

**\*जब्त किये गये संपत्ति का विवरण-\***(कुल कीमत लगभग पचास लाख रुपये)

1-ईट भट्टा - अनुमानित कीमत करीब 4000000/- रु0 (चालीस लाख रूपये)

2-एक अदद पीकप न0 UP57 A T1210- (कीमत करीब 8 लाख रूपये )

3-एक अदद बुलेट रायल ईनफील्ड मो0सा0 सं0 UP 56 Z 2818- (कीमत करीब 2 लाख रूपये)

**\*जब्तीकरण की कार्यवाही करने वाली टीम-\***

1-श्रीमान् क्षेत्राधिकारी सदर श्री उमेश चन्द्र भट्ट जनपद कुशीनगर

2-प्रभारी निरीक्षक श्री आशुतोष सिंह थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर।

3-श्रीमान् नायब तहसीलदार कसया जनपद कुशीनगर

4-व0उ0नि0 श्री गिरधारी यादव थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर।

5-उ0नि0 श्री रणजीत सिंह बघेल थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर।

6-उ0नि0 श्री गौरव राय थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर।

7-उ0नि0 श्री आकाश गिरि थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर।

8-उ0नि0 श्री रोमेश कुमार थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर।

9-हे0का0 कुश कुमार थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर।

10-हे0का0 अमरनाथ यादव थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर।

**\*थाना सेवरही पुलिस द्वारा 1.20 किग्रा अवैध गांजा (कीमत लगभग 24,000/- रु0) के साथ एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-\***

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अवैध मादक/द्रव्य पदार्थों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 31.01.2023 को थाना सेवरही पुलिस द्वारा चेंकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान लोक मान्या रेलवे ढाला के पास से एक अभियुक्त उपेन्द्र बैठा पुत्र हरिकिशुन बैठा साकिन रूपहीतांड थाना भितहा ,बेतिया जिला प0 चम्पारण बिहार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1.20 किग्रा अवैध गांजा कुल कीमत लगभग 24,000/- रु0 की बरामदगी की गयी। बरामदगीव गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0. 058/2023 धारा 8/20 NDPS में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त -\***



उपेन्द्र बैठा पुत्र हरिकिशन बैठा साकिन रूपहीतांड थाना भितहा ,बेतिया जिला प0 चम्पारण

**\*विवरण बरामदगी-\***

एक झोले में 1.20 किग्रा0 अवैध गांजा (कुल कीमत लगभग 24,000/- रु0)

**\*गिरफ्तारी करने वाली टीम-\***

1-थानाध्यक्ष श्री संजय कुमार थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

2-उ0नि0 मंगेश कुमार मिश्र थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

3-उ0नि0 जीत बहादु यादव थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

4-हे0का0 संजय कुमार थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

5-का0 रोशन त्रिपाठी थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

\*थाना कोतवाली पडरौना पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का अनावरण, चोरी गये सामान (कुल कीमत लगभग 11,000/- रूपये) के साथ 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार  
\_\*

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 31.01.2023 को मिडास स्कूल छावनी के पास से थाना कोतवाली पडरौना पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 99/23 धारा 379,411 भादवि व मु0अ0सं0 110/23 धारा 457,380,411 भादवि से सम्बन्धित दो वांछित अभियुक्तों 1-इस्तियाक खान पुत्र इम्तियाज खान निवासी छावनी घोसी टोला थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर 2-राकेश पटेल पुत्र रविन्दर पटेल निवासी सरदार पटेल नगर थाना को0पडरौना जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी गये एक अदद गैस सिलेन्डर व एक ठेला की बरामदगी की गयी। बरामदगी/गिरफ्तारी के बाद थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*पंजीकृत अभियोग-\***

मु0अ0सं0 99/23 धारा 379,411 भादवि व मु0अ0सं0 110/23 धारा 457,380,411 भादवि0

**\*गिरफ्तार अभियुक्तगण-\***

1-इस्तियाक खान पुत्र इम्तियाज खान निवासी छावनी घोसी टोला थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

2. राकेश पटेल पुत्र रविन्दर पटेल निवासी सरदार पटेल नगर थाना को0पडरौना जनपद कुशीनगर

**\*आपराधिक इतिहास-\***

1-मु0अ0सं0 110/2023 धारा 457,380,411 भादवि थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

2- मु0अ0सं0 99/2023 धारा 379,411 भादवि थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

3-मु0अ0सं0 34/2022 धारा 323, 344, 363, 366, 376 भादवि व 3/4 पास्को एक्ट थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर

**\*बरामदगी का विवरण-\***

एक अदद गैस सिलेन्डर व एक ठेला (कीमत लगभग 11,000/-रू0)



**\*बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम-\***

- 1-प्र०नि० श्री राज प्रकाश सिंह थाना को० पडरौना जनपद कुशीनगर
- 2-उ०नि० श्री देशराज सरोज थाना को० पडरौना जनपद कुशीनगर
- 3-का० गिरीश कुमार थाना को० पडरौना जनपद कुशीनगर
- 4-का० रियाज खान थाना को० पडरौना जनपद कुशीनगर
- 5-का० संदीप मौर्या थाना को० पडरौना थाना को० पडरौना जनपद कुशीनगर

**\*थाना हनुमानगंज पुलिस टीम द्वारा चोरी गये 11 बोरी सिमेन्ट (कीमत लगभग 5000/- रू०) के साथ 02 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-\***

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 31.01.2023 को पनियहवा रेलवे स्टेशन के पश्चिम आउटर सिग्नल के पहले सुनसान स्थान पर सिग्नल न मिलने के कारण सिमेन्ट से लदी ट्रेन की बोगी से सिमेन्ट चुराते समय थाना हनुमानगंज पुलिस टीम द्वारा दो अभियुक्तों 1-विश्वजीत उर्फ जे०पी निषाद पुत्र स्व० राजेन्द्र निषाद निवासी बोधीछापर थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर 2-परशुराम यादव पुत्र रामजी यादव साकिन बोधीछापर थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर के पास से चोरी गये 11 बोरी सिमेन्ट के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 29/23 धारा 379/411 आईपीसी में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**\*पंजीकृत अभियोग-\***

मु०अ०सं० 29/23 धारा 379/411 आईपीसी

**\*गिरफ्तार अभियुक्तगण-\***

- 1-विश्वजीत उर्फ जे०पी निषाद पुत्र स्व० राजेन्द्र निषाद निवासी बोधीछापर थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर
- 2-परशुराम यादव पुत्र रामजी यादव साकिन बोधीछापर थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर

**\*बरामदगी का विवरण-\***

चोरी गये 11 बोरी सिमेन्ट (कीमत लगभग 5000/- रू०)

**\*बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम-\***

- 1-प्रभारी निरीक्षक रामसहाय चौहान थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर
- 2-का० विवेकानन्द पटेल थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर
- 3-का० मनोज सिंह थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर
- 4-का० उमाशंकर यादव थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर
- 5-का० यशवन्त यादव थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर
- 6-का० अमित यादव थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर

**\*थाना रामकोला पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का अनावरण, चोरी गये सामान के साथ एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-\***



श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 31.01.2023 को उर्दहा नं0 2 के पास से थाना रामकोला पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त मनोज कुशवाहा पुत्र रामाश्रय कुशवाहा सा0 अहिरौली कुस्मही थाना रामकोला जनपद के कब्जे से एक सफेद प्लास्टिक की बोरी में लगभग 48 कि0ग्रा0 धान के साथ गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 50/23 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**\*पंजीकृत अभियोग-\***

मु0अ0सं0 50/23 धारा 457/380/411 भा0द0वि0

**\*गिरफ्तार अभियुक्त-\***

मनोज कुशवाहा पुत्र रामाश्रय कुशवाहा सा0 अहिरौली कुस्मही थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

**\*बरामदगी का विवरण-\***

एक सफेद प्लास्टिक की बोरी में लगभग 48 KG .धान

**\*बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम-\***

1-प्रभारी निरीक्षक श्री अखिलेश कुमार सिंह थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

2-उ0नि0 नबीस अहमद थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

3-उ0नि0 मृत्युंजय सिंह थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

4-का0 अविनाश यादव थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

5-का0 मारकण्डेय यादव थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

6-का0 राहुल सिंह थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

**\*जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-\***

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 16 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी ।

**\*कार्यवाही एक नजर में =\***

1.मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-00 वाहन

2.107/116 में की गयी कार्यवाही-मु0-27, व्यक्ति-74

3-वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(10)

4-आबकारी अधि0 में की गयी कार्यवाही मु0-07, अभि0-07, बरामदगी-33 शीशी देशी शराब, 65 ली0 कच्ची शराब।

5.जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-33)

**\*सोशल मीडिया सेल\***

**\*जनपद कुशीनगर\***

